न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं–943 / 22

श्रीकान्त कुमार उर्फ मुसा . . . . . आवेदक

वनाम

बिहार राज्य . . . . . विपक्षी

आवेदक की ओर से – श्री ललन प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता

बचाव पक्ष की ओर से – श्री राजाराम सिंह, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक

20.10.2022 दिनांक 30.04.2022 से कारावासित अभियुक्त श्रीकान्त कुमार उर्फ मुसा की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को उनके के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया, जो एकंगरसराय थाना काण्ड सं–30 / 22 अन्तर्गत धारा–380 भा0द0वि0 से संबंधित है।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, जिसे गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी अज्ञात चोर के विरूद्ध दर्ज किया गया है। आवेदक के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही इसका पहचान परेड कराया गया है। सह अभियुक्त को बी0पी0नं–425 / 22 से प्रभारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जमानत दिया गया है। आवेदक दिनांक 30.04.2022 से काराधीन है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचक द्वारा थाना में दिये गये आवेदन अनुसार दिनांक 01.02.2022 को इन्हें सूचना मिली कि घर में चोरी हो गया है, जिस पर सूचक तथा उसका भाई परमानन्द प्रसाद एकंगरसराय स्थित घर में आये तो पता चला कि घर से सोने का कानवाली, जीतिया, मंगलसूत्र, टीका, नथिया, अंगूठी, टॉप्स, लॉकेट, सोने का चेन एवं नगद 10000रू0 एवं सैमसंग का मोबाईल चोरी कर लिया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। आवेदक के पास से चोरी कोई बरामदगी नहीं है और न ही आवेदक का पहचान परेड कराया गया है। स्वीकारोक्ति बयान के अलावे अन्य कोई साक्ष्य आवेदक के विरूद्ध नहीं है। सह अभियुक्त को जमानत दिया गया है और आवेदक दिनांक 30.04.2022 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदक के काराधीन रहने की अवधि को एक साथ दृष्टिगत रखते हुए इसे 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित)

(अजीत कुमार सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा